HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

// MEMORANDUM//

No... C/2164...../ Jabalpur, dt .....05../09/2020
III-2-9/40

To,

The District & Sessions Judge,
(All IN THE STATE)

Subject:- Recommendations of Hon'ble High Power Committee.

With reference to aforementioned subject, as directed, please find enclosed herewith copy of the recommendations dated 26/08/2020 of Hon'ble High Power Committee, constituted in view of the directions of Hon'ble the Supreme Court in Suo Moto WP (Civil) No. 1/2020. In ref" Contagion of COVID-19 Virus in Prison" dated 23/03/2020.

The Hon'ble Committee has been pleased to recommend to extend the bail period of the accused persons who have been released on Interim Bail Order (s) for further 90 days in light of COVID-19 Pandemic.

The recommendations of Hon'ble Committee are being forwarded with a request to bring the recommendations to the Knowledge of all the Judicial Officers under your Jurisdiction, for Compliance.

This memo is being issued in continuation to the earlier memo no. C/1397 dt.04/06/2020 issued in this regards.

Encl:- Recommendations of Hon. Com.
(Total 5 pages)

(B.P. SHARMA)
REGISTRAR (DE)

Endt. No... C/2165...../ Jabalpur, dt ....05../09/2020.
III-2-9/40

Copy forwarded to :-

1. Principal Secretary, Law & Legislative Affairs Department, Govt. of M.P., Bhopal, &
2. Director General, Prison and Correctional Services, Bhopal (M.P.) for Kind information & necessary compliance.
3. Member Secretary, M.P. State Legal Service Authority, 574 South Civil Lines, Jabalpur for information & appropriate action.

(B.P. SHARMA)
REGISTRAR(DE)

ई–मेल / स्पीड पोस्ट

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

क्रमांक 3387 / 21 ब(वी) गोपाल, दिनांक 26 / 08 / 2020

प्रति,

सदस्य सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
574, साउथ सिविल लाईन्स, पचपेढ़ी,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 1 / 2020 दिनांक 23.3.2020 को जारी निर्देशों के अनुक्रम में माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव की अध्यक्षता में उच्च अधिकार समिति की वीडियो कान्फ्रेंसिंग बैठक दिनांक 26.03.2020 में लिए गए निर्णय अनुसार Covid–19 कोरोना वायरस महामारी को दृष्टिगत रखते हुये पात्रतानुसार बंदियों को अधिकतम 120 दिवस का आपात पैरोल स्वीकृति किए जाने बाबत।

संदर्भः– महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं का पत्र 106 / 26 दिनांक 18.08.20 एवं प्रशासकीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव नोटशीट(एन–45–50) की छायाप्रति।

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में महानिदेशक जेल द्वारा कोविड–19 कोरोना वायरस महामारी को दृष्टिगत रखते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा बंदियों की जमानत अवधि 90 दिवस की स्वीकृति संबंधी प्रेषित प्रस्ताव प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत प्राप्त हुआ है।

अतः प्रस्ताव अनुमोदनार्थ समिति के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

26.8.20

(संतोष प्रसाद शुक्ल)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

Scanned with CamScanner

विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 1/2020 दिनांक 23.03.2020 को जारी निर्देशों के अनुक्रम में माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव की अध्यक्षता में उच्च अधिकार समिति की वीडियो कांफ्रेसिंग बैठक दिनांक 26.03.2020 को लिए गए निर्णय अनुसार COVID-19 कोरोना वायरस महामारी को दृष्टिगत रखते हुए पात्रतानुसार बंदियों को अधिकतम 120 दिवस का आपात पैरोल स्वीकृत किए जाने बावत।

पूर्व पृष्ठ से :-

पंजी क्रमांक 1275/2020/3/जेल दिनांक 19/08/2020

(जेल मुख्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 10626 दिनांक 18/08/2020)

विचाराधीन पंजीकृत पत्र का कृपया अवलोकन करें।

2/ उपरोक्त विषयक मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा SMU MOTU WRIT PETITION (CIVIL) NO.1/2020 IN RE:CONTAGION OF COVID-19 VIRUS IN PRISONS, ORDED DATED 23.03.2020 के अनुक्रम में महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाऐं ने अपने पत्र दिनांक 18/08/2020 द्वारा अवगत कराया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस डिसीज को Public Health Emergency of International Concern घोषित किया गया है। जेलों में बडी संख्या में बंदी एक साथ रहते है। अतः उक्त बीमारी के संभावित खतरे से रोकथाम हेतु जेल मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी कर बीमारी से बचाव हेतु निम्नानुसार उपाय किये जा रहे है :-

(1) जेलों में पदस्थ जेल अधीक्षक/चिकित्सक/पैरामेडिकल/मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित State Portal for COVID-19 Monitoring एवं भारत सरकार, लो0स्वा0परि0क0मंत्रालय की वेबसाईड पर नोवल कोरोना वायरस से संबंधित गाइडलाईन एवं निर्देशों को समय-समय पर देखकर पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

(2) जेलों पर बंदियों एवं उनके परिजनों में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से बंदियों की परिजनों से मुलाकात दिनांक 31/08/2020 तक प्रतिबंधित की गई है। इसे 31/10/2020 तक बढाया जाना प्रस्तावित है।

Scanned with CamScanner

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 1/2020 दिनांक 23.03.2020 को जारी निर्देशों के अनुक्रम में माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव की अध्यक्षता में उच्च अधिकार समिति की वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक दिनांक 26.03.2020 को लिए गए निर्णय अनुसार COVID-19 कोरोना वायरस महामारी को दृष्टिगत रखते हुए पात्रतानुसार बंदियों को अधिकतम 120 दिवस का आपात पैरोल स्वीकृत किए जाने बाबत।

पूर्व पृष्ठ से :-

(3) जेल विभाग की अधिसूचना दिनांक 27/07/2020 तथा जेल मुख्यालय के आदेश दिनांक 27/07/2020 द्वारा बंदियों को पूर्व से स्वीकृत सामान्य छुट्टी का लाभ ले रहे समस्त बंदियों को सामान्य छुट्टी के लिए प्रस्तुत जमानतनामा एवं बंधपत्र पर ही पूर्व से स्वीकृत 120 दिवस की आपात छुट्टी के स्थान पर 180 दिवस की आपात छुट्टी स्वीकृत की गई है।

(4) जेल विभाग पत्र क्र० 1139/1118/2020/3/जेल दि० 25/07/2020 द्वारा जारी निर्देशानुसार न्यायालयीन आदेश से न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने वाले बंदियों को कोरोना COVID-19 संबंधी टेस्ट कराने के उपरांत ही जेलों में दाखिल कराया जा रहा है।

(5) जेल विभाग के पत्र क्र० 1178/1152/2020/3/जेल दिनांक 30/07/2020 द्वारा समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक/जेल अधीक्षक को कोरोना महामारी COVID-19 के संक्रमण को जेलों में फैलने से रोकने की दृष्टि से संक्रमित बंदियों को पृथक रखने हेतु अस्थाई कारागार घोषित करने हेतु निर्देशित किया गया है जिसके तारतम्य में जेल मुख्यालय के आदेश दिनांक 05/08/2020 द्वारा संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाये गये 14 क्वारंटाइन सेंटर में पूर्णकालिक प्रभारी ड्यूटी हेतु नियुक्त किए गए हैं।

(6) जेल मुख्यालय के पत्र दिनांक 02/08/2020 द्वारा जेलों पर परिरूद्ध बंदियों को उनके परिजनों से ई-मुलाकात की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

Scanned with CamScanner

विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 1/2020 दिनांक 23.03.2020 को जारी निर्देशों के अनुक्रम में माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव की अध्यक्षता में उच्च अधिकार समिति की वीडियो कांफ्रेसिंग बैठक दिनांक 26.03.2020 को लिए गए निर्णय अनुसार COVID-19 कोरोना वायरस महामारी को दृष्टिगत रखते हुए पात्रतानुसार बंदियों को अधिकतम 120 दिवस का आपात पैरोल स्वीकृत किए जाने बाबत।

पूर्व पृष्ठ से :-

(7) जेल मुख्यालय के पत्र दिनांक 17/08/2020 द्वारा समस्त सर्किल/जिला/उपजेल अधीक्षकों को म.प्र. की जेलों में COVID-19 के संक्रमण से बंदियों के जेल प्रवेश एवं संक्रमण से बचाव हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (S.O.P.) जारी की गई है।

(8) दिनांक 17/08/2020 की स्थिति में प्रदेश स्थिति 12 सर्किल जेलों में कुल 192 बंदी एवं 03 बच्चे (02 बच्चे जिला जेल बैढन एवं 01 बच्चा जिला जेल शहडोल) कोरोना पॉजीटिव पाये गये है।

(9) म.प्र. की जेलों की निर्धारित बंदी क्षमता 28,718 के विरूद्ध 14,596 दंडित बंदी एवं 27,706 विचाराधीन बंदी, 164 अन्य बंदी इस प्रकार कुल 42,466 बंदी निरूद्ध है। लगभग 3800 बंदी आपात अवकाश पर माह सितम्बर के अंतिम सप्ताह तक बाहर हैं। पूर्व में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23/03/2020 के अनुक्रम में दिनांक 26/03/2020 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मा० न्यायामूर्ति श्री संजय यादव की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेसिंग द्वारा हाईपावर कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी जिसमे ऐसे विचाराधीन बंदी जिनकी अपराध धारा में अधिकतम 05 वर्ष से कम हो, को 45 दिवस तक की अंतरिम जमानत पर केस टू केस परीक्षण कर छोडे जाने की अनुशंसा की गई थी इसके साथ ही नालसा द्वारा दिसम्बर, 2018 में जारी एस.ओ.पी. के मानदण्डों वाले विचाराधीन बंदियों को संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा

निरंतर.....

Scanned with CamScanner

एफ 14-09/2020/तीन/जेल

विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 1/2020 दिनांक 23.03.2020 को जारी निर्देशों के अनुक्रम में माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव की अध्यक्षता में उच्च अधिकार समिति की वीडियो कांफ्रेसिंग बैठक दिनांक 26.03.2020 को लिए गए निर्णय अनुसार COVID-19 कोरोना वायरस महामारी को दृष्टिगत रखते हुए पात्रतानुसार बंदियों को अधिकतम 120 दिवस का आपात पैरोल स्वीकृत किए जाने बावत।

पूर्व पृष्ठ से :-

45 दिवस की अंतरिम जमानत स्वीकृत किये जाने हेतु कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। इस संबंध में दिनांक 12/04/2020 तक की स्थिति में कुल 2557 बंदी विभिन्न न्यायालयों द्वारा 45 दिवस की अंतरिम जमानत पर रिहा किये जा चुके है। यह एक सतत् प्रक्रिया का हिस्सा है अतः उपरोक्तानुसार पुनः 90 दिवस की अंतरिम जमानत प्रक्रिया हेतु स्वीकृति दी जावे।

3/ उपरोक्तानुसार महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाऐं ने प्रदेश की जेलों में कोरोना संक्रमण रोकने के संबंध में किये जा रहे/किये गये उपायों की जानकारी देते हुए बिन्दु क्र० 02 में बंदियों की परिजनों से मुलाकात दिनांक 31/10/2020 तक बढाया जाना प्रस्तावित किया है, उल्लेखित है कि उक्त प्रस्ताव जेल मुख्यालय से विभाग को प्राप्त भी हो गया है, जिसे विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया है।

4/ बिन्दु क्रमांक 09 में "दिनांक 12/04/2020 तक की स्थिति में कुल 2557 बंदी विभिन्न न्यायालयों द्वारा 45 दिवस की अंतरिम जमानत पर रिहा किये जा चुके है। यह एक सतत् प्रक्रिया का हिस्सा है अतः उपरोक्तानुसार पुनः 90 दिवस की अंतरिम जमानत प्रक्रिया हेतु स्वीकृति दी जावे" का लेख किया है।

5/ इस संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मा० न्यायामूर्ति श्री संजय यादव की अध्यक्षता में गठित हाईपावर कमेटी

निरंतर.....

Scanned with CamScanner

एफ 14-09/2020/तीन/जेल
R-1275/2020/3/JAIL

विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 1/2020 दिनांक 23.03.2020 को जारी निर्देशों के अनुक्रम में माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव की अध्यक्षता में उच्च अधिकार समिति की वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक दिनांक 26.03.2020 को लिए गए निर्णय अनुसार COVID-19 कोरोना वायरस महामारी को दृष्टिगत रखते हुए पात्रतानुसार बंदियों को अधिकतम 120 दिवस का आपात पैरोल स्वीकृत किए जाने बावत।

पूर्व पृष्ठ से :-

द्वारा स्वीकृति दी जानी है। अतः प्रकरण में महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाऐं के सुझाव अनुसार स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त किये जाना उचित होगा।

प्रकरण आदेशार्थ प्रस्तुत।

अनुभाग अधिकारी

US (Jail)

DS (Jail)

AN 15/8/20

कृपया D.G.(Jail) के संलग्न 19/8/2020 पत्र क्र. 18/8/20 109-111/C के अवलोकन का अनुरोध है। अंतरिम जमानत पर रिहा बंदियों की जमानत अवधि 90 दिवस की स्वीकृती हेतु नस्ती विधि विभाग को अंकित करना चाहेंगे।

ACS

प्रशासनीय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत उपरोक्तानुसार 90 दिन की अवधि की जमानत अवधि की स्वीकृति के तारतम्य में नस्ती विधि विभाग को अंकित किया जाना प्रस्तावित है।
प्रशासनीय अनुमोदनार्थ

मान. जेल मंत्रीजी

(डॉ. राजेश राजौरा)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
गृह एवं जेल विभाग

अपर मुख्य सचिव जेल

(डॉ. नरोत्तम मिश्रा)
मंत्री
गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि

PTO

19/08/2020

46 मंत्री/गृ.जे.सं.का.वि./202
दिनांक 25.8.2020

Scanned with CamScanner

विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 1/2020 दिनांक 23.03.2020 को जारी निर्देशों के अनुक्रम में माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव की अध्यक्षता में उच्च अधिकार समिति की वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक दिनांक 26.03.2020 को लिए गए निर्णय अनुसार COVID-19 कोरोना वायरस महामारी को दृष्टिगत रखते हुए पात्रतानुसार बंदियों को अधिकतम 120 दिवस का आपात पैरोल स्वीकृत किए जाने बावत।

पूर्व पृष्ठ से :-

R-49/N पर (x) हेतु विधिपूर्ण अग्रिम कार्यवाही हेतु नस्ती अंकित।

प्रमुख सचिव (विधि)

25/8/20

(डॉ. राजेश राजौरा)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
गृह एवं जेल विभाग

प्रस्ताव अनुमोदनार्थ। समिति के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री संजय यादव के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को ई-मेल के माध्यम से भेजा जावे।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव, विधि
दि0 26.08.2020

अतिरिक्त सचिव(बी-2)

7/21-ला(बी)
26/08/20

26-8-20

S.O. ...

Scanned with CamScanner

क्रमांक 10626 जेल मुख्यालय भोपाल 18/08/

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
म.प्र.शासन,जेल विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन,
भोपाल, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
जेल विभाग, मंत्रालय
टीप क्रमांक 1276/2020/6/जेल
दिनांक 18.08.2020

714

विषय:- मध्यप्रदेश जेल विभाग द्वारा कोरोना वायरस डिसीज (COVID 19) महामारी से बचाव हेतु किए गए उपाय की अद्यतन जानकारी एवं सुझाव।

संदर्भ:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा SUO MOTO WRIT PETITION (CIVIL) NO.1/2020 IN RE:CONTAGION OF COVID 19 VIRUS IN PRISONS, ORDER DATED 23.03.2020 के अनुक्रम में।

000000

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस डिसीज 2019 को Public Health Emergency of International Concern घोषित किया गया है। जेलों में बड़ी संख्या में बंदी एक साथ रहते है। अतः उक्त बीमारी के संभावित खतरे से रोकथाम हेतु जेल मुख्यालय द्वारा समय समय पर निर्देश जारी कर बीमारी से बचाव हेतु उपाय किये जा रहे है जो निम्नानुसार है।

1. जेलों में पदस्थ जेल अधीक्षक / चिकित्सक / पैरामेडिकल / मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित State Portal for COVID-19 Monitoring एवं भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर नोवल कोरोना वायरस से संबंधित गाइडलाइन्स एवं निर्देशों को समय समय पर देख कर पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

2. जेल मुख्यालय के पत्र क्र. 9732/वारंट-1/ दिनांक 25.07.2020 द्वारा जेलों पर बंदियों एवं उनके परिजनों में नोवल कोरोना वायरस (COVID 19) के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से बंदियों की परिजनों से मुलाकात दिनांक 31.08.2020 तक प्रतिबंधित की गई है। इसे 31.10.2020 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

3. मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.07.2020 एवं जेल मुख्यालय, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1000/वारंट-6/ दिनांक 27.07.2020 द्वारा सामान्य छुट्टी का लाभ ले रहे समस्त बंदियों को सामान्य छुट्टी बंदियों को पूर्व से स्वीकृत सामान्य छुट्टी पर ही पूर्व में स्वीकृत 120 दिवस की आपात छुट्टी के लिए प्रस्तुत जमानतनामा एवं बंधपत्र [illegible] पर 180 दिवस की आपात छुट्टी स्वीकृत की गई है।

18 AUG 2020

Scanned with CamScanner

4. मध्यप्रदेश शासन जेल विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 1139/1118/2020/तीन/जेल दिनांक 25.07.2020 द्वारा निर्देश जारी किए गए है कि न्यायालयीन आदेश से न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने वाले बंदियों को कोरोना COVID-19 संक्रमण रहित कराने के उपरांत ही जेलों में दाखिल कराया जावे। निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

5. मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 1178/1153/तीन/दिनांक 30.07.2020 द्वारा समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी समस्त पुलिस अधीक्षक, समस्त जेल अधीक्षक, को कोरोना महामारी COVID-19 के संक्रमण को जेलों में फैलने से रोकने की दृष्टि से संक्रमित बंदियों को पृथक रखने हेतु अस्थाई कारागार घोषित करने हेतु निर्देशित किया गया है जिसके तारतम्य में जेल मुख्यालय के आदेश क्रमांक 1051/सामान्य स्थापना/ दिनांक 05.08.2020 द्वारा संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाये गये 14 क्वारंटाइन सेंटर में पूर्ण कालिक प्रभारी, ड्यूटी हेतु नियुक्त किए गए है।

6. जेल मुख्यालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 10022/आधुनिकीकरण/दिनांक 02.08.2020 द्वारा जेलों पर परिरूद्ध बंदियों को उनके परिजनों से ई-मुलाकात की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

7. जेल मुख्यालय, भोपाल के पत्र दिनांक 17.08.2020 द्वारा समस्त सर्किल/जिला/उपजेल अधीक्षकों को म.प्र.की जेलों में COVID-19 के संक्रमण से बंदियों के जेल प्रवेश एवं संक्रमण से बचाव हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (S.O.P.) जारी की गई है।

8. दिनांक 17.08.2020 की स्थिति में कोरोना पॉजिटिव पाये गये कुल 192 बंदी एवं 03 बच्चे है (02 बच्चे जिला जेल बैढन एवं 01 बच्चा जिला जेल शहडोल में जिला चिकित्सालय में उपचाररत), विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	सर्किल का नाम	चिकित्सालय में उपचाररत	जेल पृथक कक्ष में उपचाररत	कुल संख्या
1	भोपाल सर्किल	33	08	41
2	रीवा सर्किल	01	07	08
3	ग्वालियर सर्किल	11	35	46
4	उज्जैन सर्किल	01	05	06
5	रतलाम सर्किल	04	03	07
6	इंदौर सर्किल	02	09	11
7	बड़वानी सर्किल	02	46	48
8	सागर सर्किल	00	03	03
9	होशंगाबाद सर्किल	00	05	05
10	सतना सर्किल	12	01	13
11	नरसिंहपुर सर्किल	00	01	01
12	जबलपुर	00	03	03
		66	126	192

Scanned with CamScanner

9. मध्यप्रदेश की जेलों की निर्धारित बंदी क्षमता 28,718 के विरुद्ध 14596 दंडित बंदी एवं 27706 विचाराधीन बंदी, 164 अन्य बंदी, कुल 42466 बंदी निरुद्ध है। लगभग 1800 बंदी आपात अवकाश पर माह सितम्बर के अंतिम सप्ताह तक बाहर है। सूचे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.03.2020 के अनुक्रम में दिनांक 26.03.2020 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय श्री न्यायमूर्ति श्री संजय यादव की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा हाईपावर कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें ऐसे विचाराधीन बंदी जिनकी अपराध धारा में अधिकतम सजा 05 वर्ष से कम हो, को 45 दिवस तक की अंतरिम जमानत पर केस टू केस परीक्षण कर छोडे जाने की अनुशंसा की गई थी इसके साथ ही बालसा द्वारा दिसंबर 2018 में जारी एस.ओ.पी. के मानदंडो वाले विचाराधीन बंदियों को संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा 45 दिवस की अंतरिम जमानत स्वीकृत किये जाने हेतु कार्यवाई करने का निर्देश दिया गया था इस संबध में दिनांक 12.04.2020 की स्थिति में कुल 2557 बंदी विभिन्न न्यायालयों द्वारा 45 दिवस की अंतरिम जमानत पर रिहा किये जा चुके है। यह एक सतत् प्रक्रिया का हिस्सा है अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार पुनः 90 दिवस की अंतरिम जमानत प्रक्रिया हेतु स्वीकृति दी जावे।

17/8

संजय चौधरी
महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाए
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल,दिनांक / /2020

क्रमांक / /

प्रतिलिपिः- सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संजय चौधरी
महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाए
मध्यप्रदेश, भोपाल

Scanned with CamScanner